कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 201/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 26.05.2026

थाना- बरदह, जनपद- आजमगढ़

- **थाना बरदह पुलिस द्वारा अन्तरजनपदीय चोर गिरोह के 05 अभियुक्त गिरफ्तार, लगभग सवा सात लाख रुपये का चोरी गया सामान बरामद**
- **ग्राम असवनिया स्थित दो विद्यालयों में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण, 15 सोलर प्लेट सहित डिजिटल उपकरण व अन्य सामान बरामद**
- **चोरी के सामान को बेचने जौनपुर जा रहे अभियुक्त पुलिस चेकिंग में गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त टाटा मैजिक वाहन सीज**
- **एक अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व थाना तरवा क्षेत्र के विद्यालय से चोरी गये 2000 रुपये बरामद**

दिनांक 19.05.2026 को वादिनी प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय असवनिया तथा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय असवनिया द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि दिनांक 18.05.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालयों के ताले तोड़कर छत पर लगे सोलर प्लेट, डिजिटल बोर्ड, CPU, प्रिन्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, LED टीवी, गैस सिलेण्डर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0-173/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। दिनांक 26.05.2026 को व0उ0नि0 सुरेशचन्द्र मिश्रा मय हमराह द्वारा रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान पारा मोड़ पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि असवनिया विद्यालय से चोरी किया गया सामान एक वाहन में लादकर जौनपुर की तरफ ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर गोहहरा की तरफ से आ रही टाटा मैजिक वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। चालक द्वारा वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया गया किन्तु पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए वाहन सहित पांच अभियुक्तों को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम 1. आदित्य सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी कमरिया थाना तरवा, 2. विपिन सिंह पुत्र विजय नाथ सिंह निवासी असवनिया थाना बरदह, 3. राहुल राजभर पुत्र जेठू राजभर निवासी गोठाव थाना बरदह, 4. संदीप सरोज पुत्र जमुना सरोज निवासी इरनी थाना बरदह तथा 5. रवि राव पुत्र स्व0 मंशा राव निवासी नमदारपुर थाना कन्धरापुर बताया। अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों निखिल सिंह व छोटू उर्फ हिमांशु सिंह के साथ मिलकर ग्राम असवनिया स्थित राजकीय बालिका विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से सोलर प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी, डिजिटल बोर्ड, LED टीवी, गैस सिलेण्डर सहित अन्य सामान चोरी किया था तथा आज उक्त सामान को बेचने हेतु जौनपुर ले जा रहे थे।

जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त राहुल राजभर के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 2000 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में राहुल द्वारा बताया गया कि उक्त रुपये थाना तरवा क्षेत्र स्थित सी0वी0 इण्टर कॉलेज से चोरी किये गये पैसों में शेष बचे रुपये हैं।

बरामदगी का विवरण-

15 अदद सोलर प्लेट, 01 इण्डेन गैस सिलेण्डर, 01 ओकाया बैटरी, 01 स्टेप्लाइजर, 01 CPU, 01 LED टीवी, 02 डिजिटल बोर्ड, 01 माउस, 01 जूट का रस्सा, घटना में प्रयुक्त 01 टाटा मैजिक गोल्ड वाहन, 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 2000 रुपये बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. आदित्य सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी कमरिया थाना तरवा जनपद आजमगढ़

2. विपिन सिंह पुत्र विजय नाथ सिंह निवासी असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. राहुल राजभर पुत्र जेठू राजभर निवासी गोठाव थाना बरदह जनपद आजमगढ़
4. संदीप सरोज पुत्र जमुना सरोज निवासी इरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़
5. रवि राव पुत्र स्व0 मंशा राव निवासी नमदारपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-184/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 सुरेश चन्द मिश्रा, उ0नि0 रितेश खरवार, हे0का0 अजय कुमार यादव, का0 अजय पटेल, का0 देवव्रत वर्मा,रि0आ0 अजय चौधरी, रि0आ0 कृष्णा सिंह, रि0आ0 रामकैलाश निषाद, थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

● थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा दो अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 26 किलो 900 ग्राम नाजायज गांजा (कीमत लगभग 06 लाख रूपयें) बरामद

● छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर बिक्री हेतु जा रहे दो अभियुक्त पुलिस चेकिंग में गिरफ्तार

● अभियुक्तों के कब्जे से 26.900 किलोग्राम गांजा व एक ऑटो वाहन बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत

● क्षेत्राधिकारी सगड़ी की मौजूदगी में नियमानुसार तलाशी व बरामदगी की कार्यवाही, गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी करायी गयी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.05.2026 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज अमित कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति ऑटो से अंजान शहीद की तरफ से गुलवा गौरी नहर मार्ग होते हुए आ रहे हैं, जिनके पास बोरी में नाजायज गांजा है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा छिछोरी नहर ट्यूबेल के पास घेराबंदी की गयी। कुछ देर बाद संदिग्ध ऑटो वाहन दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास करने पर चालक वाहन मोड़कर भागने लगा, किन्तु पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए वाहन को पकड़ लिया गया। वाहन में बैठे दो व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम 1. अमरजीत पाण्डेय पुत्र रघुनाथ पाण्डेय निवासी जादवपुर दुखहरन थाना जादवपुर जिला गोपालगंज बिहार तथा 2. हरेन्द्र कुशवाहा पुत्र राजकुमार कुशवाहा निवासी कोइन्दी बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर बताया।

क्षेत्राधिकारी सगड़ी की उपस्थिति में नियमानुसार तलाशी लेने पर अभियुक्त अमरजीत पाण्डेय के कब्जे से 16 किलो 515 ग्राम तथा अभियुक्त हरेन्द्र कुशवाहा के कब्जे से 10 किलो 385 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस प्रकार कुल 26 किलो 900 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त ऑटो नम्बर BR28L1774 को कब्जे पुलिस में लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे गांजा छत्तीसगढ़ से लेकर बिक्री हेतु जा रहे थे। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0-135/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी की वीडियोग्राफी भी करायी गयी।

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 26 किलो 900 ग्राम नाजायज गांजा
2. एक अदद ऑटो संख्या BR28L1774

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अमरजीत पाण्डेय पुत्र रघुनाथ पाण्डेय निवासी जादवपुर दुखहरन थाना जादवपुर जिला गोपालगंज, बिहार
2. हरेन्द्र कुशवाहा पुत्र राजकुमार कुशवाहा निवासी कोइन्दी बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. अमित कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष बिलरियागंज
2. उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, उ0नि0 रतन सिंह पटेल, हे0का0 गांधी यादव, का0 छट्ठू साहनी, रि0का0 आशीष यादव
3. का0 संजय सिंह, का0 आकाश सिंह थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

● शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को मुहम्मदपुर तिराहे से किया गया गिरफ्तार

दिनांक 26.05.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर के कुशल निर्देशन में व0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-128/2026 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रवेश उर्फ गोलू पुत्र इनरमन निवासी ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर मुहम्मदपुर तिराहे से समय करीब 08:55 बजे गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि वादिनी/पीड़िता निवासी ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त द्वारा मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-128/2026 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रवेश उर्फ गोलू पुत्र इनरमन निवासी ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-128/2026 धारा 69 बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव, का0 विश्वामित्र, का0 मनीष यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 26.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (7 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** ।

थाना मेहनगर में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (7 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 12.11.2013 को वादी मुकदमा प्र0निरी0 रामचन्द्र भारती थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र मुसई यादव निवासी वार्ड नं0-6 कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 150 ग्राम डायजापाम का पाउडर बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0-365/2013 धारा-8/21/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 26.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र मुसई यादव निवासी वार्ड नं0-6 कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (7 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, जनपद आजमगढ़
दिनांक- 26.05.2026

● वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

● "ऑपरेशन दहन" के अंतर्गत 864.184 किग्रा मादक पदार्थों का विनष्टीकरण, लगभग ₹7.35 करोड़ मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट

● मा0 न्यायालय से 728.614 किग्रा अतिरिक्त अवैध मादक पदार्थों के विनष्टीकरण हेतु अनुमति प्राप्त, विभिन्न थानों द्वारा हजारों माल मुकदमातियों का निस्तारण

➡ जनपद आजमगढ़ में विभिन्न थानों द्वारा पूर्व में बरामद किए गए अवैध मादक पदार्थों के विनष्टीकरण हेतु मा0 न्यायालय/सम्बंधित प्राधिकारी के आदेशानुसार "ऑपरेशन दहन" के अंतर्गत जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा कार्यवाही की गई। इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गांजा, हीरोइन/स्मैक, डायजापाम एवं अन्य मादक पदार्थों सहित कुल 864.184 किलोग्राम नशीले पदार्थ तथा लगभग 1000 डायजापाम टैबलेट्स का विधिसम्मत विनष्टीकरण कराया गया। साथ ही 728.614 किलोग्राम अतिरिक्त अवैध नशीले पदार्थों के विनष्टीकरण हेतु मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

➡ विनष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत ₹7,35,55,640 (सात करोड़ पैंतीस लाख पचपन हजार छह सौ चालीस रुपये) आंकी गई है। विनष्टीकरण की प्रक्रिया मानक प्रोटोकॉल के अनुसार मेसर्स सिलिकॉन बायोटेक प्रा0 लि0, भादो, माहुल, मार्टीनगंज (थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़) स्थित औद्योगिक इकाई में स्थापित इंसीनिरेटर/ब्वायलर के माध्यम से संपन्न कराई गई। संपूर्ण कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई तथा मौके पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया गया।

➡ इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न थानों द्वारा माल मुकदमाती-304, लावारिश-89, एआरटीओ-132, आबकारी-273, एम0वी0 एक्ट-3110 एवं अन्य माल-131 का भी निस्तारण किया गया। उक्त कार्यवाही मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य अवैध नशीले पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

➡ आज दिनांक 26.05.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा उपरोक्त निस्तारण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 20 अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

➡ प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का विवरण:-

- उ0नि0 श्री प्रकाश मिश्रा – प्रभारी वि0मा0नि0 सेल
- आरक्षी शेषनाथ यादव – वि0मा0नि0 सेल
- आरक्षी प्रदीप कुमार शाह – वि0मा0नि0 सेल
- आरक्षी मुकेश गिरी – डी0सी0आर0वी0
- हे0मो0 अनिल यादव – कोतवाली
- हे0मो0 बृजेश कुशवाहा – सिधारी
- हे0मो0 लालबहादुर – कन्धरापुर
- हे0मो0 अनिल यादव – मेहनाजपुर
- हे0मो0 पंचराज भारती – तरवां
- हे0मो0 श्रवण कुमार – जीयनपुर
- हे0मो0 अवनीश मिश्रा – मुबारकपुर
- हे0मो0 सुधांशु राय – महराजगंज
- हे0मो0 विक्रांत सिंह – बिलरियागंज
- हे0मो0 प्रदीप कुमार भारती – फूलपुर
- हे0मो0 अखिलेश यादव – पवई
- हे0मो0 बनवारी यादव – सरायमीर
- हे0मो0 बृजेश कुमार – दीदारगंज
- हे0मो0 रविशंकर भारती – अतरौलिया
- हे0मो0 जमुना सिंह – अहरौला
- हे0मो0 रामाश्रय यादव – देवगांव, आजमगढ़

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

● एसटीएफ वाराणसी द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित ₹50,000 के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

● इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं सूचना पर शाहगंज रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त गिरफ्तार

● अभियुक्त के कब्जे से मोबाइल कीपैड व ₹420 नगद बरामद, कई गंभीर अभियोग हैं पंजीकृत

दिनांक 29.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना पवई राकेश कुमार सिंह द्वारा जनपद स्तर पर सक्रिय विभिन्न थाना क्षेत्रों में गोकशी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तगण 1. मो0 लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र मो0 मुनाऊ उर्फ सोहराब निवासी अम्बारी नई बस्ती थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, स्थायी पता ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ तथा 2. आमिर पुत्र इस्तियाक निवासी कसाई टोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा गैंगचार्ट अनुमोदित किये जाने के उपरांत थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/26 धारा 2(ख)(17)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मो0 लड्डन उर्फ सकलैन पर पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ द्वारा ₹50,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

आज दिनांक 26.05.2026 को एसटीएफ वाराणसी की टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी के दौरान अभियुक्त के शाहगंज क्षेत्र में आने की सूचना प्राप्त हुई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा समय करीब 13:15 बजे शाहगंज रेलवे स्टेशन के पास थाना शाहगंज जनपद जौनपुर क्षेत्र से अभियुक्त मो0 लड्डन उर्फ सकलैन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया।
गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल कीपैड व ₹420 नगद बरामद हुआ।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 72/26 धारा 2(ख)(17)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

मो0 लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र मो0 मुनाऊ उर्फ सोहराब निवासी अम्बारी नई बस्ती थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, स्थायी पता ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 127/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 0014/23 धारा 147/148/149/307 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 016/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 0164/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 72/26 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1. उ0नि0 अंगद सिंह यादव, एसटीएफ वाराणसी
2. उ0नि0 विनय कुमार मौर्या, एसटीएफ वाराणसी
3. मुख्य आरक्षी रविशंकर यादव
4. मुख्य आरक्षी रविशंकर सिंह
5. मुख्य आरक्षी कमाण्डो धीरेन्द्र चौबे ।